स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 269, दिनांक 04—09—2021

वन विभाग उत्तर प्रदेश मे वन दरोगा, वन रक्षक व वनपाल की फर्जी भर्ती निकाल कर कूटरचित नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देकर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्त जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 03—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वन विभाग उत्तर प्रदेश मे वन दरोगा, वन रक्षक व वनपाल की फर्जी भर्ती निकाल कर कूट रचित नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देकर करोडों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1. शिवम मेहरोत्रा पुत्र अनुपम मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला बेहटी लहरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।
2. आनन्द कुमार सिंह पुत्र अरबिन्द सिंह निवासी ग्राम मुरारपुर शाहपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।
3. परीक्षित पाण्डेय पुत्र हरिप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम भदोही थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

बरामदगी—

1. 11 अदद एटीएम कार्ड।
2. 05 अदद मोबाइल।
3. 03 अदद आधार कार्ड।
4. 03 अदद पैनकार्ड।
5. 45 अदद उपस्थित सूचना प्रार्थना पत्र।
6. 5 अदद शपथ पत्र।
7. 50 अदद परिचय पत्र हेतु आवेदन पत्र।
8. 56 अदद कूटरचित नियुक्ति पत्र वन विभाग उत्तर प्रदेश मे वन दरोगा, वन रक्षक व वनपाल पद के लिए।
9. 77 अदद लिफाफा वन विभाग उ0प्र0 का मोनोग्राम छपा हुआ।
10. 396 अदद मार्कशीट आधार व परिचय पत्र की छायाप्रति।
11. 03 अदद कूटरचित परिचय पत्र वन दरोगा व वन रक्षक पद के लिए।
12. 07 अदद पासबुक।
13. 05 अदद चेकबुक।
14. 03 अदद मुहर वन विभाग उ0प्र0 की।
15. 90 अदद विभिन्न प्रकार के फर्जी आदेशों की प्रतियां।
16. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
17. 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
18. 01 अदद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टाटा हरियर ठगी से प्राप्त रूपये से खरीदी गयी।
19. रू 2535/ नकद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः—

दिनांकः 03.09.2021, **स्थानः** सी 290 इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ। **समयः** 22:45 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न सरकारी विभागों मे फर्जी भर्ती निकालकर व कूटरचित नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वन विभाग मे फर्जी भर्ती निकालकर श्री राम गोपाल तिवारी निवासी सीतापुर से उनके पुत्र व रिश्तेदारों को वन विभाग उ0प्र0 मे वन दरोगा व वनरक्षक के पद पर भर्ती कराने के नाम पर एक संगठित गिरोह द्वारा लगभग 36 लाख की ठगी करने के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ) मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभिसूचना सकंलन के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 03.09.2021 को समय करीब 22:45 बजे उप निरीक्षक श्री पंकज सिंह के नेतृत्व मे साइबर क्राइम टीम एस0टी0एफ0 मुख्यालय व थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा सी 290 इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शिवम मेहरोत्रा ने बताया कि वर्ष 2017 मे पलिया रेंज वन विभाग आफिस मे मेरी नियुक्ति संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर हुई थी। वर्ष 2017 में ही पलिया रेंज मे फारेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी जिनके नियुक्ति पत्र जारी हुए थे उनकी एक प्रति मैने अपने पास रख ली थी। 2018 में पलिया रेंज से संविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर को निकाल दिया गया था। इसके बाद नौकरी की तलाश मे मै लखनऊ आ गया लखनऊ के कैसरबाग स्थित क्वीक मैनपावर कन्सेलटेंसी के आफिस मे मेरी मुलाकात अरबिंद यादव से हुई वह भी नौकरी की तलाश कर रहा था उससे मेरी मित्रत्रा हो गयी कई महीनों तक नौकरी न मिलने पर मैने व अरविन्द ने एक प्लान बनाया कि वन विभाग का नियुक्ति पत्र मेरे पास है व कुछ आदेश भी मेरे पास हैं जिनसे मिलते जुलते हम लोग भी आदेश बनाकर वन विभाग मे भर्ती निकाल कर कूटरचित नियुक्ति पत्र जारी कर देगें और लोंगों से भर्ती कराने के नाम पर वन दरोगा पद के लिए 03 लाख रूपये वन रक्षक व वनपाल के लिए 1.5 लाख रूपये ले लेंगें। इसके बाद अरविन्द ने मेरी मुलकात आनन्द सिंह, परीक्षित पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय व विजय सिंह से करायी इसके बाद 2018 से अब तक हम लोगों ने 35–40 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लगभग 1 करोड़ रूपये की ठगी की मै नियुक्ति पत्र व परिचय पत्र बना लेता था इन पर अलग अलग रेंज के अनुसार अरविन्द यादव आनन्द सिंह, परीक्षित पाण्डेय, देवेन्द्र पाण्डेय व विजय सिंह हस्ताक्षर बनाकर कन्डीडेटों को देकर पद के अनुसार 1.5 लाख से 3 लाख तक ले लेते थे। जिसके माध्यम से कन्डीडेट आता था उससे और मेरे बीच रूपये आधा–आधा बांट लिया जाता था। यह लोग मुझे लोगों को कन्डीडेट से कन्जरवेटर बताकर परिचित कराते थे जिससे लोग विश्वास करके भर्ती होने को तैयार हो जाते थे। राम गोपाल तिवारी के पुत्र व रिश्तेदारों से हम लोंगो ने लगभग 36 लाख रूपये लिए थे जिसके सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही हम लोग छिप कर रह रहे थे। आज सारा दस्तावेज नष्ट करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 271/2021 धारा 406/420/467/468/471/506 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।